

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान रेजीडेन्सियल ऐज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी (राईस)
कमरा संख्या 411, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर | 0141-2220278

क्रमांक: एफ1(A)(6)अम्बे.पीठ / राईस / मूण्डला / 2017 / 7405

दिनांक 28/3/17

**अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए शोध हेतु अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय
छात्रवृत्ति योजना**

1. प्रस्तावना:- माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की 125 वीं जयन्ती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान प्रतिभावान अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों से पी.एच.डी. स्तर पर अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ किये जाने की घोषणा की गई है, जिसमें प्रथम चरण में मानविकी एवं समाजविज्ञान के क्षेत्र में 5 शोधकर्ताओं को प्रति छात्र रूपये 25.00 लाख तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी।

2. उक्त घोषणा की क्रियान्विति के परिप्रेक्ष्य में, निम्नानुसार दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं:-

(1) योजनान्तर्गत आवेदन हेतु न्यूनतम योग्यता एवं पात्रता।

(i) आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो।

(ii) विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण विद्यार्थी, जिसके द्वारा न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक अर्जित किए गए हों।

(iii) भारत के बाहर के विदेशी विश्वविद्यालय (संबंधित देश के प्राधिकृत निकाय से प्रत्यायन (Accreditation) विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान) से निम्नांकित विषयों के पी.एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेशित हो:-

(a) समाजशास्त्र

(b) लोक प्रशासन

(c) विधि

(d) अर्थशास्त्र

(e) राजनीति शास्त्र

(f) मानव शास्त्र

(2) आयु सीमा:- अभ्यर्थी की आयु योजनान्तर्गत जारी विज्ञापन की तिथि को 35 वर्ष से कम हो।

(3) आय सीमा:- अभ्यर्थी के सम्पूर्ण परिवार की समस्त स्त्रीतों से अर्जित आय 6.00 लाख रूपये वार्षिक से अधिक न हो।

(4) विद्यार्थी उक्त योजना के अतिरिक्त अन्य किसी विभाग/संस्थान से छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा हो। विद्यार्थी को इस आशय की वचनबद्धता 100/- रूपये नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अभ्यर्थी को प्रस्तुत करनी होगी।

(5) अभ्यर्थी राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति वर्ग का हो।

(6) वित्तीय सहायता:- अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में अपने स्तर पर पी.एच.डी. में प्रवेश लेने पर उक्त योजनान्तर्गत अधिकतम 25.00 लाख रूपये की सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी। उक्त छात्रवृत्ति निम्नानुसार स्वीकृत की जाएगी:-

(i) प्रथम वर्ष -- 10.00 लाख

(ii) द्वितीय वर्ष -- 10.00 लाख

(iii) तृतीय वर्ष -- 5.00 लाख

(7) आवेदन की प्रक्रिया:- योजनान्तर्गत संबंधित आवेदक को निम्नानुसार आवेदन करना होगा:-

(अ) राज्य सरकार द्वारा छात्रवृति हेतु जारी विज्ञापन की दिनांक से 1 माह की अवधि में आवेदन करना होगा।

(ब) आवेदन पत्र के साथ आयु, वार्षिक आय, जाति एवं पी.एच.डी. हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम / विषय आदि दस्तावेज संलग्न करने होंगे।

(स) आय प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करना होगा।

(द) छात्रवृति हेतु आवेदन पत्र सचिव, अम्बेडकर पीठ, मूण्डला, जमवारामगढ़, जयपुर को भिजवाना होगा (ई-मेल आई.डी. secretaryapj@gmail.com)।

(य) विद्यार्थी द्वारा किये गये शोध कार्य को प्रति वर्ष की प्रगति रिपोर्ट विभाग को प्रस्तुत की जायेगी एवं शोध कार्य पूर्ण होने पर प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जाएगी।

(8) आवेदन पत्र छानबीन (*scrutiny*) समिति:- योजनान्तर्गत छात्रवृति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की छानबीन (*scrutiny*) हेतु निम्नानुसार कमेटी होगी:-

- | | |
|---|--------------|
| (1) अतिरिक्त निदेशक (अनु. जाति एवं जनजाति कल्याण), SJED | - अध्यक्ष |
| (2) सचिव, अम्बेडकर पीठ, मूण्डला, जयपुर | - सदस्य |
| (3) अतिरिक्त निदेशक (सामाजिक सुरक्षा) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग | - सदस्य |
| (4) उप शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर | - सदस्य |
| (5) उप निदेशक (राईस), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग | - सदस्य सचिव |
| (6) सहायक निदेशक (शिक्षा) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग | - सदस्य |

उक्त कमेटी प्राप्त आवेदन पत्रों की दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में, छानबीन कर पूर्ण (Complete) आवेदन पत्रों का विवरण आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रस्तुत करेगी।

(9) राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति:- आवेदकों से प्राप्त पूर्ण आवेदन पत्रों में से छात्रवृति योजनान्तर्गत अधिकतम 5 आवेदकों का चयन एवं अनुमोदन हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति का गठन होगा :—

- (1) अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर — अध्यक्ष
- (2) अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर — सदस्य
- (3) महानिदेशक, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर फाउण्डेशन, मूण्डला, जयपुर — सदस्य
- (4) विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर — सदस्य
- (5) निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
- राजस्थान, जयपुर — सदस्य सचिव
- (6) कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा मनोनीत प्रोफेसर (जो कि योजना में वर्णित पाठ्यक्रम मानविकी अथवा समाज विज्ञान का विशेषज्ञ हो) — सदस्य

(10) योजनान्तर्गत छात्रवृति के रूप में देय राशि के भुगतान की प्रक्रिया :—

- (अ) योजनान्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों को अधिकतम 3 वर्षों के लिए छात्रवृति प्रदान की जावेगी।
- (ब) चयनित अभ्यर्थी को संबंधित विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्थान जिससे विद्यार्थी पी.एच.डी. कर रहा हो, के संस्था प्रधान से प्रवेश के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
- (स) पी.एच.डी. हेतु चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान द्वारा निर्धारित उपस्थिति के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (द) छात्रवृति हेतु निर्धारित राशि की स्वीकृति निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर के द्वारा जारी की जाएगी। आहरित राशि चैक द्वारा अथवा डीडी के माध्यम से संबंधित विद्यार्थी के बैंक खाते में जमा की जावेगी। निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय-समय पर Ph.D पाठ्यक्रम में अध्ययनरत चयनित विद्यार्थियों की शैक्षणिक स्थिति की जानकारी संबंधित विश्वविद्यालय अथवा संस्थाओं से प्राप्त की जाएगी।

(य) छात्रवृति के रूप में प्राप्त राशि का यदि विद्यार्थी द्वारा दुरुपयोग किए जाने की स्थिति में संबंधित विद्यार्थी से भुगतान की गई राशि मय 10% ब्याज सहित वसूलनीय होगी। विद्यार्थी को इस आशय की वचनबद्धता 100/- रुपये नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अभ्यर्थी को प्रस्तुत करनी होगी।

(र) योजनान्तर्गत 1 वर्ष उपरान्त राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति द्वारा योजना की समीक्षा की जावेगी।

L
S

(रवि जैन)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक: एफ1(A)(6)अम्बे.पीठ / राईस / मूण्डला / 2017 / 1406-24 दिनांक 28)3)17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. महानिदेशक, डॉ. भीमराव अम्बेडकर फाउण्डेशन, (अम्बेडकर पीठ) मुण्डला, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं सचिव राईस, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सहायक, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन एवं सतर्कता), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (अनु. जाति एवं जनजाति कल्याण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. अतिरिक्त निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. सचिव, डॉ. भीमराव अम्बेडकर फाउण्डेशन, (अम्बेडकर पीठ) मुण्डला, जयपुर।
15. उप निदेशक राईस।
16. सहायक निदेशक (छाचार), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मुख्यावास।
17. सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मुख्यावास।
18. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को संबंधित को अविलम्ब ई-मेल कराने हेतु।

L
S

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव